



राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर 302033 फोन नं.2796625 मेल-Rajunani444@yahoo.in
क्रमांक: सामा./स्वा.दि/यो.प्रमा./2020-21/1833-34 दिनांक: 08/07/2020

समस्त यूनानी चिकित्साधिकारी,
राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय,
/केन्द्र (सी.एच.सी./पी.एच.सी./जिला चिकि.)
राजस्थान।

विषय :- स्वाधीनता दिवस समारोह-2020 के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने बाबत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु।

प्रसंग :- शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग का पत्र क्रमांक प. 25(43)आयु./2004 पार्ट-2 जयपुर दिनांक 24.06.2020

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि स्वाधीनता दिवस समारोह-2020 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्य के अधिकारियों/कार्मिकों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिये योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान दिये जाने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव मय वांछित प्रमाण पत्रों के दिनांक 13.07.2020 तक प्रेषित करे, ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा। उक्त तिथि के पश्चात प्रेषित प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।


उप निदेशक

क्रमांक: सामा./स्वा.दि/यो.प्रमा./2020-21/
प्रतिलिपि :-

दिनांक:

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक

स्वाधीनता दिवस समारोह-2020 के अवसर पर जिला कलक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को,उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

507

1. (क) नाम:

(ख) पदनाम, पै-बैंण्ड, वर्तमान वेतन एवं लेवल पे-मैट्रिक्स सहित:

(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पद:

(घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित):

(ड.) घर का पता:

(च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई-मेल

2. जन्म तिथि:

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख:

4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।

5. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र:

(क) अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

(ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।

6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा:

7. अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ तो उसका विवरण:

8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?

9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:

10. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी:

11. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक